NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 14-08-2026

विषय सूची

भारत में संसदीय कार्यकुशलता एवं कार्यवाही में व्यवधान

भारतीय कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का नया युग

भारत का अवसंरचनात्मक रूपांतरण

भारत में वित्तीय समावेशन

भारत में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस

संक्षिप्त समाचार

उज्जैन में वैश्य टेकरी स्तूप

भारत में महत्वपूर्ण कीमोथेरेपी दवाओं की कमी

गिरफ्तारी की शक्ति पर संवैधानिक सीमाएँ

श्रावाणी (SraVaani)

विश्व हाथी दिवस

IOL द्वारा नागरिक बाजार के लिए स्वदेशी 'गरुड़' उच्च-रिज़ॉल्यूशन दूरबीन लॉन्च

भारत में संसदीय कार्यकुशलता एवं कार्यवाही में व्यवधान

संदर्भ

- हाल ही में मानसून सत्र के उपरांत संसदीय कार्य मंत्री द्वारा लोकसभा की **19%** और राज्यसभा की **39%** कार्यक्षमता की जानकारी दी गई। इससे संसदीय कार्यवाही में व्यवधान के कारण विधायी कार्यों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंताएँ पुनः उभर आई हैं।

भारत में संसदीय व्यवधान के बारे में

- संसदीय व्यवधान से आशय बार-बार होने वाले **स्थगन, विरोध-प्रदर्शन, नारेबाजी अथवा ऐसी अन्य कार्रवाइयों** से है, जिनके कारण सदनों की निर्धारित कार्यवाही संचालित नहीं हो पाती।
- निरंतर होने वाले व्यवधान संसद के **विचार-विमर्श तथा जवाबदेही संबंधी कार्यों** को कमजोर करते हैं। हालांकि, विपक्ष द्वारा तत्काल एवं महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन के ध्यान में लाने के लिए व्यवधान का प्रयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक वैध संसदीय साधन हो सकता है।

पूर्व में हुए संसदीय व्यवधान

- **शीतकालीन सत्र (2010):** 2G स्पेक्ट्रम विवाद तथा संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के गठन की विपक्ष की मांग के बीच सत्र लगभग पूरी तरह बाधित रहा। लोकसभा निर्धारित समय का केवल **5%** और राज्यसभा **2%** ही कार्य कर सकी।
- **शीतकालीन सत्र (2013):** 2G संबंधी JPC की रिपोर्ट, तेलंगाना तथा अन्य मुद्दों पर विरोध-प्रदर्शनों के कारण लोकसभा की उत्पादकता घटकर **6%** और राज्यसभा की **19%** रह गई।
- **अंतरिम बजट सत्र (2014):** लोकसभा और राज्यसभा की उत्पादकता क्रमशः केवल **21% और 27%** रही।
- **मानसून सत्र (2015):** ललित मोदी एवं व्यापमं विवादों के बीच लोकसभा ने **46%**, जबकि राज्यसभा ने केवल **9%** निर्धारित समय में कार्य किया।
- **शीतकालीन सत्र (2016):** नोटबंदी के विरोध में हुए व्यवधानों के कारण लोकसभा और राज्यसभा की उत्पादकता क्रमशः **15% और 18%** रही।
- **बजट सत्र (2018):** कावेरी विवाद, आंध्र प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा देने की मांग तथा PNB से संबंधित आरोपों ने कार्यवाही को प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता क्रमशः **21% और 27%** रही।
- **मानसून सत्र (2021):** पेगासस संबंधी आरोपों तथा कृषि कानूनों के विरोध के कारण लोकसभा की उत्पादकता **21%** और राज्यसभा की **29%** रही।
- **बजट सत्र (2023):** अडानी विवाद, विदेश में राहुल गांधी की टिप्पणियों तथा उसके बाद उनकी अयोग्यता से जुड़े मुद्दों के कारण लोकसभा की उत्पादकता **33%** और राज्यसभा की **24%** रही।

भारत में विधायी उत्पादकता में गिरावट

- **17वीं लोकसभा (2019–2024)** ने 15 सत्रों में केवल **274 बैठकें** कीं, जो भारतीय इतिहास में किसी पूर्ण कार्यकाल वाली लोकसभा के लिए सबसे कम है।
- संसदीय स्थायी समितियों को भेजे गए विधेयकों का अनुपात **15वीं लोकसभा (2009–14) में 71%** से घटकर **16वीं लोकसभा (2014–19) में 27%** और **17वीं लोकसभा (2019–24) में लगभग 16%** रह गया।
- **मानसून सत्र 2025** के दौरान लोकसभा ने निर्धारित समय का केवल **29%**, जबकि राज्यसभा ने **34%** समय ही कार्य किया।

PARLIAMENT · MONSOON SESSION 2026

Parliament Productivity Washouts

UPA vs NDA sessions since 2009

SESSIONS TRACKED	WORST LS SESSION	WORST RS SESSION	CURRENT SESSION
9	2010 Winter · 5%	2010 Winter · 2%	LS 19% / RS 39%

संसदीय व्यवधान क्यों महत्वपूर्ण हैं?

- **विधायी समीक्षा प्रभावित होती है:** विधेयकों पर पर्याप्त परिचर्चा एवं समितियों द्वारा विस्तृत परीक्षण का अवसर कम हो सकता है।
- **कार्यपालिका की जवाबदेही कमजोर होती है:** प्रश्नकाल तथा सरकारी नीतियों पर चर्चा के अवसर बाधित या समाप्त हो जाते हैं।
- **सार्वजनिक धन का अपव्यय होता है:** संसदीय समय एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक संसाधन है, जिसका प्रभावी उपयोग आवश्यक है।
- **संघीय मुद्दों को सीमित स्थान मिलता है:** राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है; इसलिए उसका प्रभावी ढंग से कार्य करना संघीय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।
- **लोकतांत्रिक विमर्श कमजोर होता है:** संविधान की भावना के अनुरूप संसद का उद्देश्य विभिन्न हितों एवं मतों में संवाद और परिचर्चा के माध्यम से संतुलन स्थापित करना है।

प्रमुख चिंताएँ एवं मुद्दे

- राजनीतिक ध्रुवीकरण एवं टकराव में वृद्धि।

- संसदीय रणनीति के रूप में व्यवधान का बार-बार प्रयोग।
- विपक्ष को अपनी बात संरचित एवं प्रभावी ढंग से रखने के सीमित अवसर।
- महत्वपूर्ण विधेयकों को संसदीय समितियों के पास भेजे जाने में कमी।
- सदन में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहनों का अभाव।
- पर्याप्त विचार-विमर्श के बिना विधेयकों के पारित होने का जोखिम।

आगे की राह: सुदृढ़ीकरण के उपाय

- **अधिक सहमति-निर्माण:** सरकार को कार्य मंत्रणा संबंधी तंत्रों के माध्यम से विपक्ष की चिंताओं को पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए।
- **प्रश्नकाल की सुरक्षा:** व्यवधानों के कारण कार्यपालिका की जवाबदेही के प्रमुख माध्यम प्रश्नकाल को नियमित रूप से बाधित या समाप्त नहीं होने देना चाहिए।
- **संसदीय समितियों को सशक्त बनाना:** अधिकाधिक विधेयकों को विस्तृत संसदीय समिति परीक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए।
- **समयबद्ध चर्चा:** प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य-विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा के लिए समर्पित समय निर्धारित किया जा सकता है।
- **नियमों का निष्पक्ष अनुपालन:** पीठासीन अधिकारियों को वैध असहमति की रक्षा करते हुए अनुशासनात्मक प्रावधानों को समान एवं निष्पक्ष रूप से लागू करना चाहिए।
- **संसद के बैठक दिवस बढ़ाना:** निर्धारित बैठक के दिनों में वृद्धि से सीमित सत्रों में अत्यधिक विधायी कार्य निपटाने का दबाव कम किया जा सकता है।
- **संसदीय आचार-नीति को बढ़ावा देना:** राजनीतिक दलों को निरंतर एवं अनावश्यक अवरोध के विरुद्ध द्विदलीय संसदीय मानदंड विकसित करने चाहिए।

निष्कर्ष

- संसदीय व्यवधान कभी-कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आवश्यक साधन हो सकता है, किंतु **निरंतर व्यवधान विचार-विमर्श का विकल्प नहीं हो सकता।**
- उद्देश्य ऐसी संसद का होना चाहिए, जहाँ **विपक्ष सरकार से प्रभावी ढंग से प्रश्न कर सके और सरकार परिचर्चा, जवाबदेही तथा संवैधानिक मर्यादाओं के ढाँचे के भीतर कुशलतापूर्वक विधायी कार्य कर सके।**

स्रोत: IE

भारतीय कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का नया युग

संदर्भ

- भारत के कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। यह परिवर्तन बढ़ती उत्पादकता, किसानों के लिए सुदृढ़ सहायता प्रणालियों तथा क्षेत्र की बढ़ती **लचीलापन एवं अनुकूलन क्षमता** के रूप में परिलक्षित हो रहा है।

भारत में कृषि क्षेत्र

- कृषि अब भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है और लगभग **46.1% कार्यबल** को आजीविका प्रदान करती है।
- पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र में **5–6% की स्थिर वृद्धि** बनी हुई है, जिससे ग्रामीण आय को सुदृढ़ता प्राप्त हो रही है तथा कृषि क्षेत्र में विविधीकरण को बढ़ावा मिल रहा है।
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का **सकल मूल्य वर्धन (GVA)** वर्ष **2025–26 में बढ़कर ₹52.08 लाख करोड़** होने का अनुमान है।
- **कृषि एवं किसान कल्याण विभाग** के लिए बजटीय आवंटन वर्ष **2026–27 में बढ़कर ₹1,40,528.78 करोड़** हो गया है।
- कृषि निर्यात वर्ष **2024–25 में बढ़कर 51.1 अरब अमेरिकी डॉलर** हो गया, जबकि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी बढ़कर **20.4%** हो गई, जो मूल्यवर्धित कृषि क्षेत्र में वृद्धि का संकेत है।

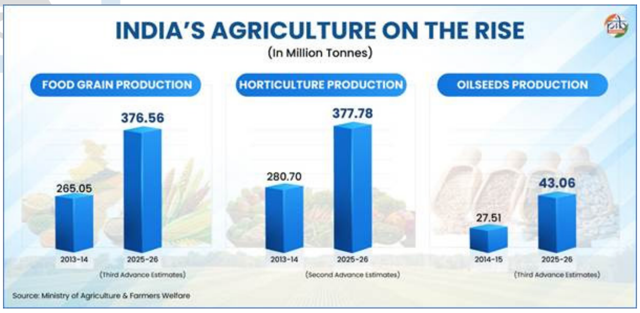

कृषि क्षेत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- **जल संकट एवं सिंचाई:** भारत में कृषि अत्यंत सीमा तक मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, जिसके कारण सूखे तथा वर्षा के अनियमित वितरण जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। विशेष रूप से जल-संकट वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं तक पहुँच एवं जल प्रबंधन प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
- **ऋण एवं वित्त तक सीमित पहुँच:** छोटे एवं सीमांत किसानों को ऋण तथा अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने में प्रायः कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- **छोटी जोत का आकार:** औसत किसान के पास छोटी कृषि जोत होने के कारण भूमि का विखंडन तथा अलाभकारी कृषि पद्धतियाँ देखने को मिलती हैं। इससे किसानों के लिए आधुनिक

कृषि पद्धतियों एवं प्रौद्योगिकियों को अपनाना कठिन हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता कम रहती है।

- **पुरानी कृषि पद्धतियाँ:** भारत में किसानों का एक बड़ा वर्ग अभी भी पारंपरिक एवं प्राचीन कृषि पद्धतियों का उपयोग करता है।
- **बाजार की अस्थिरता एवं मूल्य उतार-चढ़ाव:** पर्याप्त बाजार संपर्क, बिचौलियों तथा समय पर मूल्य संबंधी जानकारी के अभाव के कारण भारतीय किसानों को प्रायः कृषि उपज की कीमतों में अस्थिरता का सामना करना पड़ता है।
- **मृदा क्षरण:** रासायनिक-आधारित गहन कृषि के कारण भारत की कुल भूमि का लगभग **30% भाग** किसी न किसी रूप में क्षरित हो चुका है। यूरिया एवं कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग तथा मृदा में जैविक पदार्थों की कमी से नाइट्रोजन असंतुलन उत्पन्न हुआ है, जिससे मृदा की उर्वरता एवं पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएँ प्रभावित हुई हैं।
- **बढ़ती कृषि लागत:** हरित क्रांति आधारित कृषि मॉडल में घटते प्रतिफल की स्थिति उभर रही है। बढ़ती कृषि लागत से उत्पादकता में होने वाली वृद्धि पीछे छूट रही है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की ऋणग्रस्तता तथा किसान आत्महत्याओं जैसी गंभीर समस्याएँ सामने आती हैं।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव:** बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा, बाढ़, सूखा तथा चरम मौसमी घटनाओं के कारण कृषि उत्पादन एवं खाद्य सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है।

आगे की राह

- **कृषि विविधीकरण:** अनाज-आधारित कृषि से बागवानी, डेयरी, पशुधन, मत्स्यपालन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन तथा कृषि-वनीकरण की ओर संक्रमण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे किसानों की आय बढ़ाने तथा कुछ चुनिंदा फसलों पर निर्भरता कम करने में सहायता मिलेगी।
- **सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार:** जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए **ड्रिप एवं स्प्रिंकलर तकनीकों** के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के उपयोग को व्यापक स्तर पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **किसान उत्पादक संगठनों एवं सहकारिताओं का सशक्तिकरण:** किसान उत्पादक संगठनों (**FPOs**), सहकारी समितियों तथा स्वयं सहायता समूहों (**SHGs**) को सशक्त बनाकर कृषि उपज के एकत्रीकरण, सौदेबाजी की क्षमता, ऋण तक पहुँच तथा बाजार संपर्क को बेहतर बनाया जा सकता है।
- **खाद्य प्रसंस्करण एवं भंडारण अवसंरचना को बढ़ावा देना:** फसल कटाई के बाद होने वाली क्षति को कम करने तथा उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए मूल्य में किसानों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड-चेन नेटवर्क, भंडारण सुविधाओं तथा लॉजिस्टिक्स के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **कृषि-प्रौद्योगिकी एवं नवाचार को प्रोत्साहन:** ऐसे स्टार्ट-अप, कृषि-प्रौद्योगिकी नवाचारों तथा **डेटा-आधारित कृषि समाधानों** को समर्थन दिया जाना चाहिए, जो उत्पादन, दक्षता एवं बाजार तक किसानों की पहुँच को बढ़ाने में सहायक हों।

स्रोत: PIB

भारत का अवसंरचनात्मक रूपांतरण

संदर्भ

- विगत एक दशक के दौरान भारत ने **परिवहन, आवास, जल, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल नेटवर्क** के क्षेत्रों में अवसंरचना निर्माण को तीव्र गति प्रदान की है।

भारत में अवसंरचना विकास

- **परिवहन एवं संपर्क:**
  - **प्रमुख रेलवे पुल:** चिनाब पुल (2025), अंजी खड्ड पुल (2025), पंबन पुल (2025) तथा बैराबी–सैरांग रेल परियोजना (2025)।
  - **सड़क एवं राजमार्ग:** राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार **61% बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर** हो गया है तथा **3,644 किलोमीटर एक्सप्रेसवे** परिचालन में हैं।
  - **हवाई संपर्क:** परिचालनरत हवाई अड्डों की संख्या **2014 में 74 से बढ़कर 2026 में 165** हो गई। UDAN योजना के अंतर्गत **95 हवाई अड्डों** को जोड़ा गया तथा इससे **1.64 करोड़ यात्रियों** को लाभ मिला।
  - **उपग्रह-आधारित नेविगेशन:** वर्ष 2015 में **GAGAN** का परिचालन शुरू हुआ। यह विश्व की पहली भूमध्यरेखीय **उपग्रह-आधारित संवर्धन प्रणाली (SBAS)** है, जिसने नौवहन की सटीकता तथा उड़ान सुरक्षा को बेहतर बनाने में योगदान दिया है।

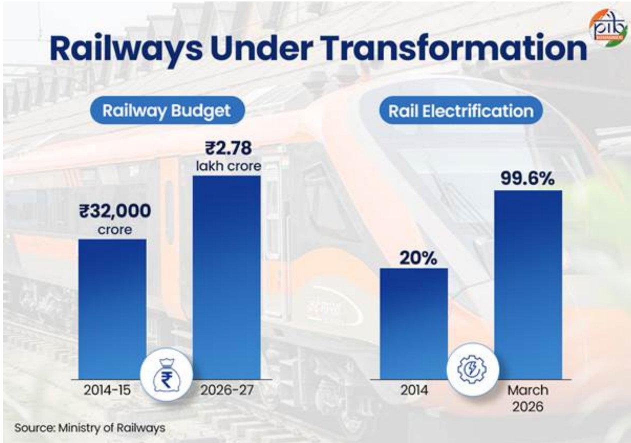

- **समुद्री एवं लॉजिस्टिक्स अवसंरचना:**
  - बंदरगाहों की क्षमता लगभग दोगुनी होकर **1,726 MMTPA** हो गई है।
  - राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या **5 से बढ़कर 111** हो गई है।
  - विश्व बैंक के **लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक** में भारत की रैंकिंग **2014 में 54वें स्थान से सुधरकर 2023 में 38वें स्थान** पर पहुँच गई।
  - भारत ने राष्ट्रीय जलमार्गों के अपने नेटवर्क का विस्तार **2014 के 5 से बढ़ाकर 2026 में 111** कर दिया है।
- **जल अवसंरचना:**
  - **जल जीवन मिशन** के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल की उपलब्धता **2019 में 17% से बढ़कर 2026 में लगभग 82%** हो गई है।
  - सिंचाई, नदियों के पुनर्जीवन तथा **केन–बेतवा नदी जोड़ो परियोजना** जैसी नदी-लिंकिंग परियोजनाओं में भी प्रगति हुई है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:**
  - स्थापित विद्युत क्षमता **248 GW से बढ़कर 533 GW** हो गई है।
  - विद्युत की कमी **4.2% से घटकर 0.03%** रह गई है।
  - भारत विश्व का **तीसरा सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादक** बन गया है।
  - **सौभाग्य योजना** के अंतर्गत लगभग **2.86 करोड़ परिवारों** का विद्युतीकरण किया गया है।
- **स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन:**
  - LPG कवरेज **55.9% से बढ़कर 107.2%** हो गया है।

- **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना** ने गरीब परिवारों तक स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की पहुँच का विस्तार किया है। देशभर में **33 करोड़ से अधिक LPG उपभोक्ता** हैं।
- **डिजिटल अवसंरचना:**
    - इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या **25 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ से अधिक** हो गई है।
    - ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या लगभग **100 करोड़** तक पहुँच गई है।
    - वर्ष 2026 तक **99.9% जिलों में 5G सेवाएँ** उपलब्ध हैं तथा लगभग **85% जनसंख्या** को 5G कवरेज प्राप्त है।

भारत के अवसंरचना विकास के समक्ष चुनौतियाँ

- **वित्तीय बाधाएँ:** बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे सार्वजनिक वित्त पर दबाव बढ़ता है तथा निजी पूंजी पर निर्भरता बढ़ती है।
- **भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याएँ:** भूमि विवाद, पुनर्वास संबंधी चिंताएँ तथा लंबी स्वीकृति प्रक्रियाएँ परियोजनाओं की लागत और समय-सीमा में वृद्धि करती हैं।
- **पर्यावरणीय एवं सामाजिक चिंताएँ:** अवसंरचना के विस्तार से पारिस्थितिक क्षरण, वनों की कटाई, जैव-विविधता की हानि तथा समुदायों के विस्थापन जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **कार्यान्वयन में विलंब:** नौकरशाही संबंधी बाधाएँ, न्यायिक मुकदमेबाजी तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की समस्याएँ प्रायः परियोजनाओं के क्रियान्वयन को धीमा कर देती हैं।
- **क्षेत्रीय असंतुलन:** अवसंरचना विकास अभी भी असमान है। पूर्वोत्तर, पर्वतीय तथा दूरदराज के क्षेत्र अपेक्षाकृत पीछे हैं।
- **शहरी अवसंरचना पर दबाव:** तीव्र शहरीकरण की गति परिवहन, आवास, जलापूर्ति तथा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के विकास से आगे निकल गई है।
- **संचालन एवं रखरखाव में कमी:** अपर्याप्त रखरखाव से अवसंरचना परिसंपत्तियों की दक्षता तथा उपयोगी आयु कम हो जाती है।
- **जलवायु एवं आपदा संबंधी जोखिम:** चरम मौसमी घटनाएँ, बाढ़, चक्रवात तथा लू जैसी घटनाएँ अवसंरचना की **लचीलेपन एवं आपदा-प्रतिरोधक क्षमता** के लिए बढ़ता हुआ जोखिम उत्पन्न कर रही हैं।

आगे की राह

- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** को सुदृढ़ करना।
- पारदर्शी तंत्र के माध्यम से **भूमि एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियों** की प्रक्रिया में तीव्रता लाना।
- **जलवायु-अनुकूल एवं सतत अवसंरचना** को बढ़ावा देना।
- रखरखाव तथा परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ करना।
- अविकसित एवं वंचित क्षेत्रों में **अंतिम छोर तक संपर्क** को बेहतर बनाना।
- परियोजनाओं के कुशल क्रियान्वयन के लिए **संस्थागत एवं तकनीकी क्षमताओं** का विकास करना।

निष्कर्ष

- भारत का **अवसंरचनात्मक रूपांतरण** आर्थिक विकास, बेहतर संपर्क तथा सामाजिक समावेशन का एक प्रमुख आधार बनकर उभरा है।
- यद्यपि परिवहन, ऊर्जा, आवास, जल एवं डिजिटल अवसंरचना के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, फिर भी वर्तमान चुनौतियों का समाधान करना अत्यंत आवश्यक है।
- **गुणवत्ता, लचीलापन एवं समावेशिता** पर बल देने वाला संतुलित दृष्टिकोण वर्ष **2047 तक विकसित एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारत** के लक्ष्य को साकार करने के लिए आवश्यक होगा।

स्रोत: PIB

भारत में वित्तीय समावेशन

संदर्भ

- वित्तीय समावेशन समानतापूर्ण विकास के भारत के दृष्टिकोण का एक केंद्रीय आधार है। भारत ने बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, ऋण, बीमा, पेंशन तथा निवेश के अवसरों तक पहुँच का व्यापक विस्तार किया है।

वित्तीय समावेशन

- वित्तीय समावेशन वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से कमजोर वर्गों एवं निम्न-आय समूहों जैसे वंचित वर्गों को वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाओं तथा आवश्यकता के समय समयबद्ध एवं पर्याप्त ऋण तक पहुँच सुनिश्चित की जाती है।

भारत में वित्तीय समावेशन की प्रगति

- **RBI वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI Index):** यह वित्तीय सेवाओं की पहुँच, उपयोग एवं गुणवत्ता के आधार पर वित्तीय समावेशन की स्थिति को मापता है।
  - यह देशभर में औपचारिक वित्तीय सेवाओं के विस्तार की प्रगति का एक व्यापक संकेतक है।
  - FI Index 2017 में 43.4 से बढ़कर 2026 में 70.0 हो गया, जो इन तीनों आयामों में व्यापक सुधार को दर्शाता है।
- **ग्लोबल फिनडेक्स डेटाबेस :** यह वित्तीय समावेशन से संबंधित विश्व का प्रमुख डेटा स्रोत है।
- यह विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में वयस्कों द्वारा वित्तीय सेवाओं तक पहुँच और उनके उपयोग को मापता है।
  - वर्ष 2011 से बैंक खाता रखने वाले वयस्कों का अनुपात 89% तक पहुँच गया है, जो औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच तथा सक्रिय बैंक खाता उपयोग में विगत दशक के दौरान हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।
- बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच बैंक शाखाओं, बैंकिंग संवाददाताओं तथा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के आउटलेट्स के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।
  - वर्ष 2026 में देश के 99.92% गाँवों में 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध हैं।

चुनौतियाँ

- **साइबर सुरक्षा संबंधी जोखिम:** डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग से डेटा उल्लंघन तथा साइबर हमलों की आशंका बढ़ी है। संवेदनशील वित्तीय डेटा की सुरक्षा के लिए सुदृढ़ सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।
- **डिजिटल साक्षरता का अभाव:** जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के पास अभी भी पर्याप्त डिजिटल साक्षरता एवं प्रौद्योगिकी तक पहुँच नहीं है, जिससे फिनटेक समाधानों की पहुँच एवं प्रभावशीलता सीमित होती है।
- **ग्राहक विश्वास:** विशेषकर वृद्ध वर्ग तथा प्रौद्योगिकी के नए उपयोगकर्ताओं के बीच डिजिटल वित्तीय सेवाओं के प्रति विश्वास स्थापित करना एक चुनौती है।
- **नवाचार एवं विस्तार क्षमता:** तीव्र तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखना तथा उपयोगकर्ताओं की माँग बढ़ने के साथ प्रणालियों को प्रभावी ढंग से विस्तार योग्य बनाना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

सरकारी पहल

- **प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY):** इसका उद्देश्य नए बैंक खातों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सुविधा प्रदान करना तथा वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना है।

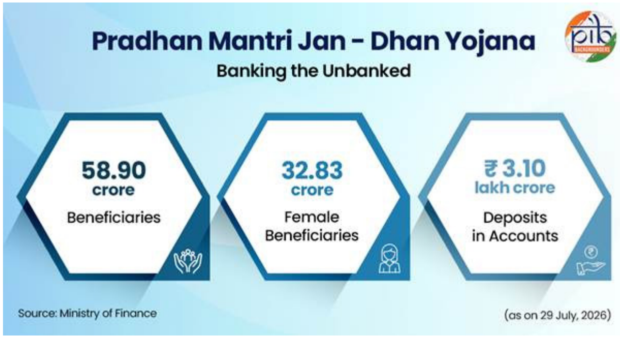

- **JAM त्रिमूर्ति:** JAM त्रिमूर्ति के अंतर्गत जन धन खाते, आधार एवं मोबाइल कनेक्टिविटी को एकीकृत करके वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ किया गया है।
  - यह सरकारी लाभों के पारदर्शी एवं कुशल वितरण के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) को सक्षम बनाती है।
  - DBT से लीकेज कम होते हैं, फर्जी लाभार्थियों का उन्मूलन होता है तथा कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में मध्यस्थों की भूमिका न्यूनतम होती है।
- **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI):** यह व्यक्तियों एवं व्यापारियों के बीच वास्तविक समय में तत्काल, अंतर-संचालनीय तथा सुरक्षित लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है।
  - भारत में कुल खुदरा भुगतान लेनदेन का 81% UPI के माध्यम से संसाधित होता है।
- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY):** PMJJBY (2015) एक वार्षिक नवीकरणीय जीवन बीमा योजना है, जो 18–50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को ₹2 लाख का जीवन बीमा कवर प्रदान करती है।
  - यह योजना दुर्घटनाजनित मृत्यु के लिए तत्काल बीमा कवर तथा गैर-दुर्घटनाजनित मृत्यु के लिए 30 दिनों की प्रतीक्षा अवधि प्रदान करती है।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY):** PMSBY (2015) 18–70 वर्ष की आयु के बचत बैंक खाता धारकों के लिए वार्षिक नवीकरणीय दुर्घटना बीमा योजना है। यह दुर्घटनाजनित मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के लिए ₹2 लाख तथा आंशिक विकलांगता के लिए ₹1 लाख का बीमा कवर प्रदान करती है।

- यह बीमा ₹20 के वार्षिक प्रीमियम पर उपलब्ध है, जिसे संबद्ध बैंक खाते से स्वतः डेबिट किया जाता है।
- **अटल पेंशन योजना (APY):** APY (2015) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना है, जिसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था।
  - यह 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ₹1,000 से ₹5,000 तक की गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करती है।
- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PM Mudra Yojana):** यह विनिर्माण, व्यापार, सेवा तथा संबद्ध कृषि गतिविधियों से जुड़े गैर-कॉरपोरेट, गैर-कृषि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ₹20 लाख तक का संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करती है।
- **PM SVANidhi:** यह रेहड़ी-पटरी एवं स्ट्रीट वेंडर्स पर केंद्रित अपनी तरह की प्रथम सूक्ष्म ऋण पहल है, जिसे सरकार समर्थित ऋण गारंटी का सहयोग प्राप्त है।
  - इसके अंतर्गत ₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000 की तीन क्रमिक किश्तों में संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।
- **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC):** KCC बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से किसानों को समय पर एवं पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराता है।
  - इसमें ATM-सक्षम डेबिट कार्ड, एकमुश्त दस्तावेजीकरण तथा लचीली निकासी की सुविधा उपलब्ध है।
- **जन समर्थ (Jan Samarth):** जन समर्थ ऋण-संबद्ध सरकारी योजनाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
  - यह लाभार्थियों को सीधे ऋणदाताओं से जोड़ता है तथा सरकार प्रायोजित ऋण तक पहुँच की प्रक्रिया को सरल बनाता है।
- **राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (NCFE):** यह केंद्र राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों में वित्तीय शिक्षा एवं जागरूकता को बढ़ावा देता है।
  - यह वित्तीय साक्षरता को सुदृढ़ करने के लिए सेमिनार, कार्यशालाएँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा जागरूकता अभियान आयोजित करता है।
- **वयस्कों के लिए वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम (FEPA):** FEPA को NCFE द्वारा वर्ष 2019 में वयस्कों के बीच वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था।
  - इस कार्यक्रम में किसानों, महिला समूहों, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), कर्मचारियों तथा कौशल विकास प्रशिक्षणार्थियों को शामिल किया जाता है।
- **राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान:** वित्तीय समावेशन का विस्तार 2.70 लाख ग्राम पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) तक करने के लिए यह चार महीने का अभियान वर्ष 2025 में शुरू किया गया।

निष्कर्ष

- भारत की वित्तीय समावेशन यात्रा केवल बैंक खातों की संख्या बढ़ाने से आगे बढ़कर लोगों की सार्थक वित्तीय भागीदारी सुनिश्चित करने तक पहुँच गई है।
  - बैंकों के सुदृढ़ नेटवर्क, डिजिटल अवसंरचना तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं ने औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच का व्यापक विस्तार किया है।
- इन पहलों के समन्वित प्रभाव से एक अधिक सुलभ, सुदृढ़ एवं समावेशी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो रहा है, जो समावेशी आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है।

स्रोत: PIB

भारत में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस

संदर्भ

- भारत ने अधिक **पारदर्शी एवं सुविधा-आधारित व्यावसायिक वातावरण** तैयार करने के लिए व्यापक स्तर पर सुधार किए हैं।

ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस

- यह किसी देश या क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करने एवं संचालित करने में होने वाली **सुगमता या कठिनाई की स्थिति** को दर्शाता है।
- यह मुख्य रूप से **नियामक वातावरण, नौकरशाही प्रक्रियाओं, कानूनी ढाँचे तथा सरकारी सेवाओं की दक्षता** जैसे कारकों पर निर्भर करता है।

वर्तमान स्थिति

- भारत के व्यावसायिक वातावरण तथा **ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (EoDB)** में सुधार के कारण निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है।
- यह प्रगति विश्व बैंक की **डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट 2020** जैसे वैश्विक आकलनों में भी परिलक्षित होती है।
- भारत की रैंकिंग **2014 में 142वें स्थान से बढ़कर 2019 में 63वें स्थान** पर पहुँच गई, अर्थात पाँच वर्षों में **79 स्थानों का सुधार** हुआ।
- **आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025** में किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी एवं व्यावसायिक दक्षता तथा व्यवसायों के लिए अवसंरचना विकास को ध्यान में रखा जाता है।
- भारत की रैंकिंग **2021 में 43वें स्थान से सुधरकर 2025 में 41वें स्थान** पर पहुँच गई। यह बेहतर व्यावसायिक वातावरण, सुशासन तथा डिजिटल एवं नियामकीय सुधारों को दर्शाता है।
- वर्ष **2020, 2022 और 2025** में भारत को विश्व बैंक के **गवटेक परिपक्वता सूचकांक** में **समूह A** में स्थान दिया गया। यह सूचकांक सार्वजनिक क्षेत्र में डिजिटल रूपांतरण का मूल्यांकन करता है।

- यह श्रेणी उन देशों को मान्यता देती है, जो **मुख्य सरकारी प्रणालियों, सार्वजनिक सेवा वितरण, डिजिटल नागरिक सहभागिता तथा गवटेक सक्षमकारी तंत्रों** में नवोन्मेषी एवं उन्नत प्रक्रियाओं के अग्रणी हैं।
- वर्ष 2014 के बाद भारत की **लॉजिस्टिक्स प्रतिस्पर्धात्मकता** में सुधार हुआ है, जिसमें बहु-माध्यमीय संपर्क एवं अवसंरचना के विस्तार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
- **विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023** में भारत की रैंकिंग **2014 के 54वें स्थान से सुधरकर 2023 में 38वें स्थान** पर पहुँच गई।

भारत के व्यावसायिक वातावरण में सुधार

- **स्टार्टअप इंडिया:** स्टार्टअप इंडिया योजना जनवरी 2016 में उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा एक सुदृढ़ स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भारत को **रोजगार खोजने वालों के बजाय रोजगार सृजित करने वाला देश** बनाना है।
- **उद्यम पंजीकरण पोर्टल:** इसे जुलाई 2020 में शुरू किया गया।
  - यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए **नि:शुल्क, कागज रहित तथा स्व-घोषणा आधारित पंजीकरण व्यवस्था** प्रदान करता है।
  - यह बिना प्रशासनिक बाधाओं के एकीकृत डिजिटल एवं कागज रहित पंजीकरण प्रक्रिया उपलब्ध कराता है तथा **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)** और **GSTN (GST नेटवर्क)** के डेटाबेस तक पहुँच प्रदान करता है।
- **डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP):** DILRMP को वर्ष 2016 में भूमि अभिलेखों के प्रबंधन में सुधार तथा भूमि एवं संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
  - यह कार्यक्रम भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली की **सटीकता में सुधार** करने में सहायक है।
- **राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (NGDRS) – एक देश, एक पंजीकरण:** NGDRS ने संपत्ति एवं दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए एक व्यापक उपयोगकर्ता इंटरफेस उपलब्ध कराकर संपत्ति लेनदेन तथा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा दिया है।
  - यह कार्यक्रम नागरिकों को **ऑनलाइन भूमि खरीदने** की सुविधा भी प्रदान करता है। खरीदार भूमि की सर्किल दर, वर्तमान दरों के अनुसार संपत्ति का मूल्यांकन तथा भूमि के प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- **राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS):** NSWS एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो किसी फर्म की आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक अनुमोदनों की पहचान करने तथा उनके लिए आवेदन करने में सहायता करता है।
- **परिवेश (PARIVESH):** परिवेश पोर्टल को अगस्त 2018 में **पर्यावरणीय स्वीकृति (EC), वन स्वीकृति (FC), वन्यजीव स्वीकृति (WL) तथा तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) स्वीकृतियों** की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए विकसित किया गया था।
- **SPICe+ फॉर्म:** SPICe+ एकीकृत वेब फॉर्म को वर्ष 2020 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य व्यवसाय पंजीकरण में तीव्रता लाने के लिए सरकार की विभिन्न सेवाओं को एकल मंच पर एकीकृत करना है।
- **MCA21 संस्करण 3.0:** MCA21 परियोजना एक **कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित पहल** है, जो भारत के व्यावसायिक क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है।
- **सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM):** सार्वजनिक खरीद को डिजिटल, अधिक सुव्यवस्थित एवं समावेशी बनाने के लिए GeM को वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। यह ई-मार्केटप्लेस **महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs), कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) तथा दिव्यांगजनों** को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC):** ONDC डिजिटल अथवा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान-प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने की एक पहल है। इसकी स्थापना अप्रैल 2022 में **डिजिटल व्यापार को सभी के लिए सुलभ बनाने** के उद्देश्य से की गई थी।
- **प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान:** प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को अक्टूबर 2021 में **एकीकृत अवसंरचना विकास एवं बहु-माध्यमीय संपर्क** के लिए एक परिवर्तनकारी कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था।
  - यह एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो **58 केंद्रीय मंत्रालयों तथा सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों** को **3,199 डेटा लेयर्स** के माध्यम से जोड़कर सहयोगात्मक अवसंरचना योजना एवं कार्यान्वयन को सक्षम बनाता है।
- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY):** PMMY को छोटे उद्यमों के लिए वित्तीय पहुँच की कमी को दूर करने हेतु **₹20 लाख तक के संपार्श्विक-मुक्त ऋण** उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
  - वर्ष 2015 में स्थापना के बाद से **27 मार्च 2026 तक** इस योजना के अंतर्गत **57 करोड़ से अधिक खातों में ₹40.07 लाख करोड़** के ऋण वितरित किए जा चुके हैं।
- **वस्तु एवं सेवा कर (GST):** GST को वर्ष 2017 में एक ऐसी अप्रभावी एवं असंगठित अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के स्थान पर लागू किया गया, जो व्यवसायों एवं उपभोक्ताओं दोनों पर भार डालती थी।

- इससे पहले **उत्पाद शुल्क, सेवा कर, VAT, CST** आदि जैसे विभिन्न प्रकार के कर लागू थे।

ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का महत्व

- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना:** वैश्विक निवेशकों के लिए ऐसे नियामक संस्थानों की आवश्यकता होती है, जो **पूर्वानुमेय, पारदर्शी एवं विश्वसनीय** हों। अनुपालन संबंधी सरल मानदंड तथा संपत्ति खरीद में सुगमता भी निवेशकों के विश्वास को बढ़ाती है।
- **MSMEs का सशक्तिकरण:** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था की **रीढ़** हैं। नियामकीय भार कम करने से व्यवसाय करने की लागत घटती है तथा अनौपचारिक उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में आने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
- **उद्यमिता को सुगम बनाना:** सरल पंजीकरण, लाइसेंसिंग एवं अनुपालन प्रक्रियाएँ स्टार्टअप्स, MSMEs तथा नए उद्यमों को बाजार तक आसानी से पहुँचने में सहायता करती हैं।
- **रोजगार सृजन:** भारत की युवा जनसंख्या को औपचारिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्यमों की स्थापना एवं विस्तार की प्रक्रिया को तीव्र करना आवश्यक है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता:** निर्बाध लॉजिस्टिक्स, सीमा शुल्क की डिजिटल व्यवस्था तथा त्वरित पर्यावरणीय स्वीकृतियों के माध्यम से भारतीय कंपनियाँ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से अधिक सहजता से जुड़ सकती हैं।

समस्याएँ एवं चिंताएँ

- **नियमन में वृद्धि:** कराधान, पर्यावरण एवं औद्योगिक कानूनों में होने वाले लगातार परिवर्तन निवेश को हतोत्साहित कर सकते हैं।
    - अनुपालन नियमों की जटिलता का MSMEs एवं स्टार्टअप्स पर असमान रूप से अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनके पास अनुपालन के लिए सीमित संसाधन होते हैं।
    - राज्यों एवं जिलों का प्रदर्शन अलग-अलग रहा है, जिसके परिणामस्वरूप **असमान व्यावसायिक वातावरण** देखने को मिलता है।
    - केंद्र द्वारा किए गए सुधार स्थानीय स्तर पर प्रभावी सेवाओं में आवश्यक रूप से परिवर्तित नहीं हो पाते।
- **भूमि एवं भवन संबंधी विलंब:** भूमि रूपांतरण, भूमि संबंधी दस्तावेजों तथा भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त करने में समय लगता है।
- **वित्त तक सीमित पहुँच:** विशेषकर MSMEs के लिए समय पर एवं कम लागत वाले वित्तपोषण की उपलब्धता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है।
- **कमजोर अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स:** परिवहन, बंदरगाह, विद्युत, इंटरनेट की उपलब्धता तथा लॉजिस्टिक्स संबंधी बाधाएँ व्यवसाय संचालन की लागत को बढ़ाती हैं।

सुझाव

- **क्षमता निर्माण:** स्थानीय सरकारों, नगर निकायों तथा जिला प्रशासन की तकनीकी एवं मानव संसाधन क्षमता का विकास किया जाना चाहिए।
- **पूर्वानुमेय नीतिगत व्यवस्था:** व्यापार एवं कर नीतियों में दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि वैश्विक निवेशक नीतिगत बदलावों, विशेषकर पूर्वव्यापी परिवर्तनों की चिंता के बिना दीर्घकालिक निवेश योजनाएँ बना सकें।
- अनुमोदन प्रक्रियाओं के लिए **एकल वास्तविक-समय आधारित प्रणाली** विकसित करने की आवश्यकता है।
- लाइसेंसिंग, निरीक्षण एवं अनुपालन प्रक्रियाओं में **दोहराव को समाप्त** किया जाना चाहिए।
- सुधारों को विशेष रूप से **MSMEs एवं स्टार्टअप्स की आवश्यकताओं तथा उनके सामने आने वाली नियामकीय बाधाओं** के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- भारत में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की यात्रा अब केवल अलग-अलग प्रक्रियाओं को सरल बनाने से आगे बढ़कर **अधिक उत्तरदायी एवं उद्यम-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र** के निर्माण की दिशा में विकसित हो रही है।
- सुदृढ़ डिजिटल अवसंरचना, बाजारों एवं वित्त तक व्यापक पहुँच तथा अधिक नियामकीय निश्चितता के साथ व्यवसाय अब अवसरों का बेहतर लाभ उठाने, **सतत रूप से विस्तार करने तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने** की बेहतर स्थिति में हैं।

स्रोत: PIB

संक्षिप्त समाचार

उज्जैन में वैश्य टेकरी स्तूप

संदर्भ

- मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन स्थित **वैश्य टेकरी** में नए सिरे से उत्खनन पर विचार कर रही है। यहाँ वर्ष **1938–39** में आंशिक उत्खनन किया गया था, जिसमें एक विशाल बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले थे। माना जाता है कि यह स्तूप **सांची स्तूप से भी बड़ा** हो सकता है।

NEXT IAS हिन्दी

वैश्य टेकरी क्या है?

- वैश्य टेकरी मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट स्थित एक विशाल **पुरातात्त्विक टीला** है।
- माना जाता है कि इसमें एक विशाल बौद्ध स्तूप के अवशेष हैं, जिसे प्राचीन **कनिपुरा/कनकगिरि बौद्ध केंद्र** से संबद्ध माना जाता है।
    - पूर्व में किए गए उत्खनन में मुख्य स्तूप के कुछ हिस्सों के साथ-साथ **दो छोटे स्तूपों** के अवशेष भी सामने आए थे।
- इस स्थल को अस्थायी रूप से **मौर्य काल, लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व** का माना गया है। इस स्मारक का पारंपरिक रूप से संबंध **सम्राट अशोक** तथा उज्जैन में उनके शासनकाल से जोड़ा जाता है।
- इस स्तूप का अनुमानित व्यास लगभग **350 फीट** तथा ऊँचाई **100 फीट या उससे अधिक** मानी जाती है।

सांची का महान स्तूप

- **स्तूप** एक बौद्ध स्मारक होता है, जिसमें सामान्यतः बुद्ध अथवा अन्य संतों के पवित्र अवशेष संरक्षित किए जाते हैं।
- **निर्माण:** इस स्तूप का निर्माण **मौर्य वंश के सम्राट अशोक** द्वारा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कराया गया था।
    - बाद में **शुंग एवं सातवाहन काल** के दौरान स्तूप का विस्तार एवं अलंकरण किया गया।
- **संरचना:** महान स्तूप पत्थर एवं ईंटों से निर्मित एक **अर्धगोलाकार गुंबद** है। इसके मध्य में एक विशाल उठा हुआ चबूतरा है, जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं।
    - इसके शीर्ष पर **'हरमिका'** स्थित है, जिस पर त्रिस्तरीय छत्र अथवा **'छत्रावली'** स्थापित है। यह बौद्ध धर्म के तीन रत्नों—**बुद्ध, धम्म एवं संघ**—का प्रतिनिधित्व करती है।
    - गुंबद के ऊपर **'चक्र' अथवा छत्र** जैसी स्तंभाकार संरचना स्थित है, जो बुद्ध की उपस्थिति एवं ज्ञानोदय का प्रतीक मानी जाती है।
    - यह स्तूप **यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** है तथा विश्वभर के बौद्ध अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है।

स्रोत: TOI

भारत में महत्वपूर्ण कीमोथेरेपी दवाओं की कमी

संदर्भ

- भारत में दो प्रमुख कीमोथेरेपी दवाओं—**सिस्प्लैटिन एवं कार्बोप्लैटिन**—की देशव्यापी गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके प्रमुख कारणों में वैश्विक स्तर पर **प्लैटिनम कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, पश्चिम एशिया के शिपिंग मार्गों में व्यवधान तथा घरेलू मूल्य-सीमा** शामिल हैं।

परिचय

- रोगियों के लिए इसका अर्थ जीवनरक्षक उपचार में **बाधा या विलंब** के रूप में सामने आया है।
    - घरेलू विनिर्माण इकाइयों में बंद उत्पादन लाइनों को पुनः शुरू करने में सहायता के लिए सरकार ने विगत महीने दोनों दवाओं की **अधिकतम मूल्य-सीमा में अस्थायी रूप से 50% की वृद्धि** की।
- **सिस्प्लैटिन:** यह एक कीमोथेरेपी औषधि है, जिसका उपयोग ठोस ट्यूमर के साथ-साथ कुछ प्रकार के रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है।
- **कार्बोप्लैटिन:** यह प्लैटिनम-आधारित दूसरी पीढ़ी का यौगिक है, जिसका उपयोग मुख्यतः ठोस ट्यूमर के उपचार में किया जाता है।
    - दोनों भारत में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली कीमोथेरेपी दवाओं में शामिल हैं। इनका उपयोग **अंडाशय, सिर एवं गर्दन, फेफड़े, पित्ताशय, मूत्राशय, स्तन तथा वृषण के कैंसर** के उपचार में किया जाता है।

कीमोथेरेपी

- कीमोथेरेपी एक ऐसी औषधीय उपचार पद्धति है, जिसमें शरीर में तीव्रता से बढ़ने वाली कोशिकाओं, विशेषकर **कैंसर कोशिकाओं**, को नष्ट करने के लिए शक्तिशाली रसायनों का उपयोग किया जाता है।
- कीमोथेरेपी दवाओं का उपयोग अकेले या अन्य दवाओं के साथ संयोजन में विभिन्न प्रकार के कैंसर के उपचार के लिए किया जा सकता है।
- यद्यपि कीमोथेरेपी अनेक प्रकार के कैंसर के उपचार का प्रभावी माध्यम है, लेकिन इसके उपचार के साथ **दुष्प्रभावों का जोखिम** भी जुड़ा रहता है।

स्रोत: TH

गिरफ्तारी की शक्ति पर संवैधानिक सीमाएँ

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने **विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2025)** मामले में निर्णय दिया कि प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को

उसकी गिरफ्तारी के **आधारों के बारे में उचित एवं सार्थक रूप से सूचित किया जाना अनिवार्य** है।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- गिरफ्तारी की संवैधानिकता की जाँच करना आवश्यक है, ताकि **लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ किया जा सके तथा राज्य की शक्ति एवं नागरिक की स्वतंत्रता के बीच उचित संतुलन** सुनिश्चित किया जा सके।
- गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी प्रदान करने में विफलता संविधान के **अनुच्छेद 22(1)** तथा **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 47** का उल्लंघन मानी जाएगी।
- निर्णय में कहा गया कि केवल रिश्तेदारों को गिरफ्तारी की जानकारी देना अथवा अस्पष्ट अभिलेख उपलब्ध कराना संवैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता।
- **अनुच्छेद 22(2)** तथा **BNSS, 2023 की धारा 58** की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गिरफ्तारी ज्ञापन में **गिरफ्तारी का समय** दर्ज होना अनिवार्य है।

गिरफ्तारी एवं हिरासत की संवैधानिकता

- **अनुच्छेद 22** गिरफ्तार व्यक्ति के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। इनमें गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, यथाशीघ्र अपने वकील से परामर्श करने एवं उसके द्वारा बचाव किए जाने का अधिकार तथा **यात्रा में लगने वाले समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार** शामिल है।
- **गिरफ्तारी और हिरासत अलग-अलग अवधारणाएँ हैं।** हिरासत जाँच के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से रोकने की स्थिति है, जिसमें उस व्यक्ति पर आवश्यक रूप से किसी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया होता। इसके विपरीत, गिरफ्तारी किसी अपराध के किए जाने के संभावित आधार पर पुलिस अभिरक्षा में लेने की एक औपचारिक कार्रवाई है।
- **असंज्ञेय अपराधों**, जैसे मानहानि, में गिरफ्तारी के लिए सामान्यतः वारंट आवश्यक होता है, जबकि **संज्ञेय अपराधों**, जैसे हत्या एवं बलात्कार, में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय

- **अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014):** सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए गिरफ्तारी के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित किए।
    - न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में, जहाँ अपराध के लिए सजा **सात वर्ष से कम** है, गिरफ्तारी सामान्य नियम के बजाय अपवाद होनी चाहिए।
    - पुलिस को **BNSS की धारा 35** के अंतर्गत यह निर्धारित करना चाहिए कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी वास्तव में आवश्यक है या नहीं।
- **मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978):** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि **अनुच्छेद 21 का संबंध अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 से है।**
    - इनमें अनुच्छेद 14 **मनमानेपन का प्रतिषेध** करता है और इससे सारभूत प्राकृतिक न्याय की अवधारणा विकसित होती है, जबकि **अनुच्छेद 19(1)** प्रक्रियात्मक प्राकृतिक न्याय के तत्वों को समाहित करता है।

स्रोत: TH

श्रावाणी (SraVaani)

चर्चा में क्यों?

- भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) की **SPIRE लैब** ने ARTPARK के सहयोग तथा गूगल के समर्थन से **श्रावाणी** को विकसित किया है।

श्रावाणी

- यह एक **बहुभाषी भारतीय वाक् पहचान मॉडल** है, जिसे 65 भारतीय भाषाओं एवं बोलियों पर प्रशिक्षित किया गया है। इनमें 40 से अधिक ऐसी भाषाएँ एवं बोलियाँ शामिल हैं, जिन्हें वर्तमान वाक् पहचान प्रणालियाँ आधिकारिक रूप से समर्थन नहीं देती हैं।
- श्रावाणी में **20 अनुसूचित भाषाओं तथा 45 क्षेत्रीय भाषाओं एवं बोलियों** को शामिल किया गया है। इससे 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग **25 करोड़ लोगों** के लिए वाक्-आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Speech AI) की क्षमताएँ उपलब्ध होने की संभावना है, जिनकी भाषाओं को वर्तमान प्रणालियाँ पर्याप्त रूप से समझ नहीं पाती हैं।
- इसका कवरेज **अखिल भारतीय स्तर** पर तैयार किया गया है। इसमें पूर्वोत्तर भारत की 19, पूर्वी भारत की 16, पश्चिमी भारत की 9, उत्तरी भारत की 8, दक्षिणी भारत की 6 तथा मध्य भारत की 5 भाषाएँ एवं बोलियाँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त **अंग्रेजी एवं संस्कृत** को भी शामिल किया गया है।
- यह मॉडल **गारो, अंगिका, चकमा, कोकबोरोक, तुलु, बुंदेली एवं बज्जिका** जैसी भाषाओं को भी समर्थन प्रदान करता है।

स्रोत: TH

विश्व हाथी दिवस

संदर्भ

- भारत ने **12 अगस्त 2026** को विश्व हाथी दिवस मनाया। इस अवसर पर हाथी संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पुनः रेखांकित हुई।

हाथियों के बारे में

- हाथी पृथ्वी पर पाए जाने वाले **सबसे बड़े स्थलीय जीव** हैं और अत्यधिक बुद्धिमान माने जाते हैं। स्तनधारियों में इनकी **गर्भावधि सबसे लंबी** होती है।
- हाथियों की तीन प्रमुख प्रजातियाँ हैं:
  - **अफ्रीकी सवाना हाथी (बुश हाथी)**
  - **अफ्रीकी वन हाथी**
  - **एशियाई हाथी**
  - अफ्रीकी सवाना हाथी हाथियों की सबसे बड़ी प्रजाति है।
- **खतरे:** अफ्रीकी हाथियों के लिए सबसे बड़ा खतरा अवैध हाथीदाँत व्यापार के लिए होने वाला **शिकार** है, जबकि एशियाई हाथियों की जनसंख्या के लिए **आवास की हानि तथा इसके परिणामस्वरूप मानव–हाथी संघर्ष** प्रमुख खतरे हैं।
- **IUCN रेड लिस्ट की स्थिति**

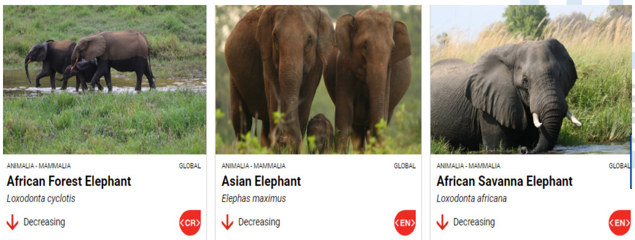

क्या आप जानते हैं?

- भारत में विश्व के **60% से अधिक जंगली एशियाई हाथी** पाए जाते हैं।
- **सिंक्रोनस अखिल भारतीय हाथी जनसंख्या आकलन (SAIEE) 2021–25** के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की अनुमानित संख्या **22,446** है।
- भारत सरकार ने **भारतीय हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु** घोषित किया है।

हाथियों के संरक्षण के लिए पहल

- **प्रोजेक्ट एलिफेंट (PE):** यह वर्ष **1992** में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका क्रियान्वयन **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)** द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रमुख हाथी-बहुल राज्यों को हाथियों, उनके आवासों तथा गलियारों के संरक्षण के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।
- **कानूनी संरक्षण:** भारतीय हाथी को **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I** के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर का कानूनी संरक्षण प्राप्त है।
- **हाथी गलियारे एवं आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क:** भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी गलियारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में **150 हाथी गलियारे** हाथियों की आवाजाही को सुगम बनाते हैं।

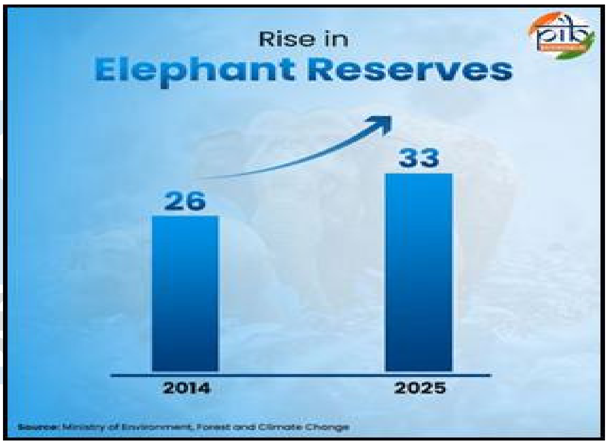

- **हाथियों के लिए सुरक्षित रेल परिवहन:** संयुक्त सर्वेक्षणों के माध्यम से **3,452.4 किलोमीटर** लंबाई वाले 127 संवेदनशील रेल खंडों की पहचान की गई। इसके बाद अंडरपास, ओवरपास, रैंप तथा पुलों में संशोधन जैसे उपाय किए गए।
  - इन उपायों के परिणामस्वरूप रेलगाड़ियों की टक्कर से होने वाली हाथियों की मृत्यु **2013 में 26 से घटकर 2024 में 12** रह गई, अर्थात इसमें **50% से अधिक की कमी** आई।
- **हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी (MIKE) कार्यक्रम:** इसे वर्ष **2003** में शुरू किया गया। यह एक अंतरराष्ट्रीय सहयोगात्मक कार्यक्रम है, जो अफ्रीका एवं एशिया में हाथियों की अवैध हत्या की प्रवृत्तियों पर निगरानी रखता है तथा जमीनी स्तर पर संरक्षण प्रयासों की प्रभावशीलता का आकलन करता है।
- **ऑपरेशन थंडरबर्ड:** वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB)** तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समन्वय से भारत में **'ऑपरेशन थंडरबर्ड'** चलाया गया।

- **बंदी हाथी (स्थानांतरण या परिवहन) नियम, 2024:** सरकार ने बंदी हाथियों के स्थानांतरण एवं परिवहन को विनियमित करने के लिए इन नियमों को अधिसूचित किया।

स्रोत: PIB

IOL द्वारा नागरिक बाजार के लिए स्वदेशी 'गरुड़' उच्च-रिज़ॉल्यूशन दूरबीन लॉन्च

संदर्भ

- **इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (IOL)** ने नागरिक बाजार के लिए स्वदेशी **'गरुड़' उच्च-रिज़ॉल्यूशन दूरबीन** लॉन्च की है। IOL, रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन **मिनी रत्न श्रेणी-I रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम** है।

प्रमुख विशेषताएँ

- **गरुड़ में 8 गुना आवर्धन** तथा **7.6 डिग्री का विस्तृत दृश्य क्षेत्र** उपलब्ध है। इससे दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के साथ-साथ व्यापक दृश्य परिप्रेक्ष्य बनाए रखना संभव होता है।
- इसकी **मौसम-प्रतिरोधी संरचना** विभिन्न बाहरी परिस्थितियों में विश्वसनीय उपयोग सुनिश्चित करती है।
- यह दूरबीन **पक्षी-दर्शन, वन्यजीव अवलोकन, प्रकृति-अन्वेषण, यात्रा, खेल, वानिकी, समुद्री गतिविधियों तथा सुरक्षा संबंधी अनुप्रयोगों** सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग के लिए उपयुक्त है।
- गरुड़ में IOL के **रक्षा-ऑप्टिक्स क्षेत्र के अनुभव** को आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ संयोजित किया गया है, जिससे इसे नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त बनाया गया है।
- इसके लॉन्च के साथ कंपनी की **ऑप्टिकल तकनीकी क्षमताएँ व्यापक जनसमुदाय**, विशेषकर बाहरी गतिविधियों में रुचि रखने वाले लोगों एवं पेशेवर उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो गई हैं।

स्रोत: PIB

NEXT IAS हिन्दी